न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्र0 सं0, 74/2009,(जी.सी.एम.एस. न. 2009/00086) व इजलास डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

मनोहर पुत्र रामशरन जाति माली निवासी लहचोरा दौलतपुर तहसील व जिला मथुरा(उ.प्र.)

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

—प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 09.07.2024

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ. ख. नम्बर 1976/0.87, वाके ग्राम इकलहरा तहसील डीग में स्थित है। वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी का साविक खसरा नम्बर 1369/रकबा 18 विस्वा , 1370/रकबा 1 बीघा, 1368/रकबा 1 बीघा 16 विस्वा, 1358/ रकबा 17 विस्वा का था जोकि कुल रकबा 4 वीघा 11 विस्वा का था। जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल खसरा नम्बर 2323/0.25, 2324/0.27, 2325/0.13 में बदला गया है। जोकि साबिक के मुकाबले 9 ऐयर रकबा कर आया है। आराजी मुत0से लगता हुआ रास्ता है जो साबिक खसरा नम्बर 1306/रकबा 10 विस्वा व 1357/रकबा 1 वीघा 10विस्वा का था जिसे दौराने सैटिलमेंट हाल खसरा नम्बर 1976/0.87 में बदला गया है जो साबिक कुल रकबा 2बीघा का था जो सैटिलमेंट विभाग वालों ने हाल 0.87 ऐयर में बदला है जोकि साबिक के मुकाबले 55 ऐयर अधिक दर्ज कर दिया गया है। वादी की खातेदारी की आराजी से लगता हुआ रास्ता है और वादी की खातेदारी की आराजी को कम करते हुए बिना किसी अधिकार के रास्ते में मिला दिया है। जबकि आज भी वादी साबिक के मुताविक 4वीघा 11 विस्वा कर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर वादी 4वीघा 11 विस्वा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। वादी की खातेदारी के रकबे से लगता हुआ रास्ता है जो साविक में 2 वीघा का था और सैटिलमेंट विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1976/0.87 में बदल गया है। सैटिलमेंट विभाग को इस प्रकार रकबा कम व अधिक करने का कोई अधिकार नहीं था। सैटिलमेंट विभाग द्वारा वादी की खातेदारी की आराजी को रास्ते में मिला दिया है और रास्ते के साबिक खसरा नम्बर 1306/10 विस्वा , 1357/1 वीघा 10 विस्वा कुल रकबा 2 वीघा का था। जिसे हाल खसरा नम्बर 1976/0.87 ऐयर में बदला गया है। जो साबिक के मुकावले 55 ऐयर अधिक दर्ज कर दिया और वादी का साविक के मुकावले 9 ऐयर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रकंबा कम दर्ज कर दिया है। अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बर 1976/0.87, वाके ग्राम इकलहरा तहसील डीग में से वादी को 9 ऐयर आराजी का खतोदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 21.03.2011 को पैरोकार सरकार द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि वादी के साविक खसरा नम्बर 1369/18 विस्वा, 1370/1 वीघा, 1368/1वीघा 16 विस्वा, 1358/17 विस्वा वाके ग्राम इकलहरा अरोडामल पुत्र राममल की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था इसी खाते में खसरा नम्बर 1354/2वीघा, 1355/2वीघा 6 विस्वा, से मुताविक मिलान क्षेत्रफल के हाल खसरा नम्बर 2028/0.53 हैक्टे0 एवं खसरा नम्बर 2027/0.63 हैक्टे0 कुल रकबा 1.16 हक्टे0 निर्मित हुआ है। जबकि साविक 0.85 हैक्टे0 ही निर्मित होना चाहिए था। वादी सिवायचक गै0 मु0 रास्ता की भूमि को दावे के माध्यम से हडपना चाहते है।

वकील वादी का बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि वादी की खातेदारी के रकबे से लगता हुआ रास्ता है जो साविक में 2 वीघा का था और सैटिलमेंट विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1976/0.87 में बदल गया है। सैटिलमेंट विभाग को इस प्रकार रकबा कम व अधिक करने का कोई अधिकार नहीं था।सैटिलमेंट विभाग द्वारा वादी की खातेदारी की आराजी को रास्ते में मिला दिया है और रास्ते के साबिक खसरा नम्बर 1306/10 विस्वा , 1357/1 वीघा 10 विस्वा कुल रकबा 2 वीघा का था। जिसे हाल खसरा नम्बर 1976/0.87 ऐयर में बदला गया है। जो साबिक के मुकावले 55 ऐयर अधिक दर्ज कर दिया और वादी का साविक के मुकावले 9 ऐयर रकबा कम दर्ज कर दिया है। अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बर 1976/0.87, वाके ग्राम इकलहरा तहसील डीग में से वादी को 9 ऐयर आराजी का खतोदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वादी के साविक खसरा नम्बर 1369/18 विस्वा, 1370/1 वीघा, 1368/1 वीघा 16 विस्वा, 1358/17 विस्वा वाके ग्राम इकलहरा अरोडामल पुत्र राममल की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था इसी खाते में खसरा नम्बर 1354/2वीघा, 1355/2 वीघा 6 विस्वा, से मुताविक मिलान क्षेत्रफल के हाल खसरा नम्बर 2028/0.53 हैक्टे0 एवं खसरा नम्बर 2027/0.63 हैक्टे0 कुल रकबा 1.16 हक्टे0 निर्मित हुआ है। जबकि साविक 0.85 हैक्टे0 ही निर्मित होना चाहिए था। वादी सरकारी सार्वजनिक उपयोग की गै0 मु0 रास्ते की भूमि से अपने कम रकबे की पूर्ति किया जाना तथा वादी का कम रकबा सरकारी रास्ते मे नहीं होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :–

वादी का दावा उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं होने तथा राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner